न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 23/2022

GCMS No-2022/97

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		रमेश कुमार जैन पुत्र धनपतराज जैन मैसर्स मूलचंद चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा

–: निर्णय :–

दिनांक :- 24.08.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 09.02.2022 को दौराने गश्त रमेश कुमार जैन पुत्र धनपतराज जैन मैसर्स मूलचंद चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी मारवाड जंक्शन जिला पाली पर गया, जहां पर प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान पर 500 एम.एल. घी के 40 पैकेट जो आमजन को बिक्री के लिए रखे हुए थे, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया तथा दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। घी के चार पैकेट वास्ते जाचं हेतु क्रय कर उसकी किमत 720/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये एंव लेबल पर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारों लेबल को विक्रेता की दुकान से खरीद किये घी के 500 एम.एल. के चारों पैकेट पर नियमानुसार चिपका कर सीलबंद करके प्रार्थी ने अपने कब्जें में लिये तथा मौके पर ही फर्द मौका तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया समझाया जिसे सुन समझकर सही मानकर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये। नमुना एवं फार्म नम्बर 06 की एक प्रति के साथ खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूना घी के संबध में खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया।इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी लिखित जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना घी के संबध में जो कार्यवाही की गई वह न्यायोचित नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमुना लेने की कार्यवाही नियमानुसार नही की गई। प्रार्थी की फर्म से पैकेटबंद घी का नमुना लिया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी के ब्राण्ड नेम का कही भी मौका रिपोर्ट एवं प्रपत्र में अंकन नही किया है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के निर्धारित पैरामीटर क्रम सख्या 1 से लगातार 7 तक के अनुसार नमुना घी मानक स्तर का है। पैरामीटर क्रम संख्या 8 के तहत फॉरेन फेट पैरामीटर फेट अंकित की हुई है जो कि अभी तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत घी के जांच हेतु निर्धारित पैरामीटर में शामिल नही है। मानक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में यह कही भी उल्लेख नही है कि फॉरेन फेट किस प्रकृति का है एंव टेस्ट के लिए किस सिद्वान्त को काम में लिया है यह कही उल्लेख नही है। प्रार्थी अपनी दुकान पर फल विक्रय करते हुए पाया गया था। दुकान पर किराणा का सामान विक्रय नही करता है। प्रार्थी की दुकान में किसी अन्य व्यक्ति का सामान पडा हुआ था जिससे यह सिद्ध नही होता की प्रार्थी उक्त नमुना घी का विक्रय कर रहा था, जिससे यह सिद्ध होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही नियमानुसार नही हुई है। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की दुकान मैसर्स मूलचंद चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–1331 खाद्य पदार्थ घी का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थ घी का खरीद बिल पेश नही किया ना ही प्रकरण इस न्यायालय में पेश होने से पुर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष पेश किया जिससे निर्माता कम्पनी को पक्षकार संयोजित नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को अप्रार्थी की फर्म रमेश कुमार जैन पुत्र धनपतराज जैन मैसर्स मूलचंद चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी मारवाड जंक्शन जिला पाली से खाद्य पदार्थ घी(मखन्न वाला ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1331 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./469/एक्ट/2022/465 दिनांक 24.02.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1331 को Sub-standard as it is not derived exclusively from milk pr products obtained form milk as it contains foreign Fat. this sample also contravenes regulation No 2.3.7(2) of Food safety and standards (Prohibitions and restrictions on sales) regulation, 2011 due to presence of foreign Fat. माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली